FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0091 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/04/2026 11:43 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** सोमवार **Date From (दिनांक से):** 19/01/2026 **Date To (दिनांक तक):** 19/01/2026
      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:00 बजे **Time To (समय तक):** 18:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/04/2026 **Time (समय):** 10:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/04/2026 11:43:01 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 02 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** BHATI CIRCLE, RATANADA JODHPUR

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAMPRAKASH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BEEJARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1996 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	JHAK, BILARA, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	JHAK, BILARA, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BALDEV SINGH		पिता:BABUSINGH	1. NETRA CHIKITSALAY KE SAMNE,JAITARAN,ब्यावर, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर विषयः- रिश्वत मांगने वालें कार्मिक के विरूद कानूनी कार्यवाही करवानें बाबत। महोदयजी, उपरोक्त विषयन्तर्गत निवेदन है कि मैं रामप्रकाश पुत्र श्री बींजाराम जाति जाट उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर का रहने वाला हूं। मैं ड्राईविंग का कार्य करता हूं। मेरे पास एक बोलेरो पिकअप कैम्पर है जिसके नम्बर आरजे 32 जीसी 8368 है। मैं उक्त वाहन को माल ढोने में किराये पर चलाता हूं। आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे वाहन में छोटे बच्चो के खिलोने के आईटम भरे हुए था भाटी सर्किल पर मेरे वाहन को एक पुलिस कर्मी श्री बलेदवसिंह द्वारा रूकवाया गया और तथा उन्होने मेरे को कहा कि आप अपना ड्राईविंग लाईसेन्स देओ। जिस पर मैने अपना ड्राईविंग लाईसेन्स निकालकर उनको दिया तो उन्होने मेरे को कहा कि आपका 5000 रूपये का चालान बनेगा। जिस पर मैने कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। जिस पर उन्होने मेरा ड्राईविंग लाईसेन्स अपने पास रख लिया और कहा कि आप 5000 रूपये लेकर मेरे से मिल लेना जबकि मेरे वाहन में इन्श्योरेन्स, फिटनेस, पीयुसी व आरसी इत्यादि सारे कागजात मेरे पास उपलब्ध थे। मेरे वाहन में कोई भी कमी नहीं है मेरे को चालान बनाने का भय दिखाकर मेरे से 5000 रूपये रिश्वत लेने का दबाव बना रहे है। बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। मेरी ट्राफिक पुलिस कर्मी से बलदेवसिंह से कोई लेन-देन बकाया नहीं व निजी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।   दिनांकः- 19.01.2026 भवदीय एसडी/ (रामप्रकाश) पिता का नाम श्री बींजाराम जाति जाट उम्र 30 वर्ष जिला जोधपुर मोबाईल नं. 9950653104 कार्यवाही पुलिस दिनांक 19.01.2026 समय 02.00 PM इस समय परिवादी श्री रामप्रकाश श्री बींजाराम जाति जाट उम्र 30 वर्ष निवासी झाक तह. बिलाड़ा जिला जोधपुर ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर में उपस्थित होकर गोपनीय रिपोर्ट मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की। रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधि0 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जानें पर नियमानुसार मांग सत्यापन करवाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री किशनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस DYSP को परिवादी व परिवादी की रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द की। एसडी रामप्रकाश एसडी किशनसिंह चारण एसडी/ एसडी दीपाराम (ओमप्रकाश चौधरी़) एसडी राजेन्द्र कुमार विश्नोई अति0 पुलिस अधीक्षक ए.सी.बी. जोधपुर दिनांक 19.01.2026 समय 02.15 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस किशनसिंह चारण द्वारा परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। परिवादी श्री रामप्रकाश से मजीद दरियाफ्त एवं परिवादी की रिपोर्ट के अवलोकन के अवलोकन से प्रथम दृष्टया मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु कार्यालय के श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर उसका परिचय परिवादी श्री रामप्रकाश से करवाया गया। दोनों के मोबाईल नम्बर एक दूसरे को आदान प्रदान कराये गये। कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वॉयस रिकार्डर निकाल कर उसको चालु करने, बन्द करने, संचालन करने के प्रक्रिया परिवादी श्री रामप्रकाश व श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा समझाईश की गई, साथ ही परिवादी ने बताया कि संदिग्ध श्री बलदेवसिंह हैड कानि. आज ही रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता कर लेगा। तत्पश्चात् समय 02.30 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर नया मेमोरी कार्ड लगाकर श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 को सुपर्द कर हिदायत दी गई कि आप वक्त मांग सत्यापन वार्ता के समय परिवादी श्री रामप्रकाश को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑन कर उसको देवें तथा परिवादी श्री रामप्रकाश के साथ जाकर संदिग्ध अधिकारी श्री बलदेवसिंह हैड कानि. के मध्य रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवा कर लावे। परिवादी श्री रामप्रकाश के साथ श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सहित भाटी सर्किल जोधपुर शहर के लिए रवाना किया गया। ताबाद समय 03.30 पी.एम. पर श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 व परिवादी श्री रामप्रकाश कार्यालय हाजा में उपस्थित आये व श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 ने अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ सुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपर्द कर बताया कि मैं व परिवादी श्री रामप्रकाश आपके निर्देशानुसार कार्यालय से रवाना होकर भाटी सर्किल जोधपुर शहर के पास पहुंचे जहां पर मैंने कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्ड ऑन कर परिवादी श्री रामप्रकाश को सुपुर्द कर संदिग्ध अधिकारी से वार्ता करने हेतु भाटी सर्किल पर भेजा, मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए भाटी सर्किल के आस-पास ही गोपनीय रूप से खड़ा रहा। कुछ समय बाद परिवादी श्री रामप्रकाश मेरे पास

उपस्थित आया। जिस पर मैंने कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर परिवादी से प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा साथ ही परिवादी ने मेरे को बताया कि संदिग्ध अधिकारी श्री बलदेवसिंह हैड कानि. मुझे भाटी सर्किल पर नहीं मिले। भाटी सर्किल पर एक होमगार्ड श्री सुरेन्द्रसिंह मिला जिनको मैंने पुछा कि अभी मैं गया था तब लाईसेन्स दिया था ना, साहब कहा गये तो होमगार्ड श्री सुरेन्द्रसिंह ने कहा कि किनको दिया, जिस पर मैंने उनको कहा कि मेरी गाड़ी रोकाकर उन्होने मेरे लाईसेन्स ले लिया था। बलदेवजी थे, जिस पर होमगार्ड श्री सुरेन्द्रसिंह ने कहा कि बलदेवजी चार- साढे चार बजे आयेंगे तथा लाईसेन्स भी उन्ही के पास है साथ ही पास खड़े परिवादी श्री रामप्रकाश ने भी श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 के उपरोक्त कथनों की ताईद की। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर सुना तो परिवादी व श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 के कथनों की ताईद हुई है। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लिया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा सुरक्षित में रखा तथा परिवादी को कार्यालय में ही इन्तजार करने हेतु कहा गया। तत्पश्चात् समय 04.15 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वॉयस रिकार्डर जिसमें पूर्व से मेमोरी कार्ड डाला हुआ है, जो श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 को सुपर्द कर हिदायत दी गई कि आप वक्त मांग सत्यापन वार्ता के समय परिवादी श्री रामप्रकाश को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑन कर उसको देवें तथा परिवादी श्री रामप्रकाश के साथ जाकर संदिग्ध श्री बलदेवसिंह हैड कानि. के मध्य रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवा कर लावे। परिवादी श्री रामप्रकाश के साथ श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सहित भाटी सर्किल जोधपुर शहर के लिए रवाना किया गया। ताबाद समय 05.30 पी.एम. पर श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 व परिवादी श्री रामप्रकाश कार्यालय हाजा में उपस्थित आये व श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 ने अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ सुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपर्द कर बताया कि मैं व परिवादी श्री रामप्रकाश कार्यालय से रवाना होकर भाटी चौराहा रातानाडा जोधपुर के पास पहुंचे जहां पर मैंने कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्ड ऑन कर परिवादी श्री रामप्रकाश को सुपुर्द कर श्री बलेदवजी हैड कानि. से वार्ता करने हेतु भाटी सर्किल पर भेजा मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए भाटी सर्किल के आस-पास गोपनीय रूप से खड़ा रहा। कुछ समय बाद परिवादी श्री रामप्रकाश मेरे पास उपस्थित आया। जिस पर मैंने कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्ड परिवादी से प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा, साथ ही परिवादी ने मेरे को बताया कि भाटी सर्किल पर संदिग्ध पुलिस कर्मी श्री बलदेव जी हैड कानि. मिले जिनसे मैंने उनको कहा कि आपको मेरा लाईसेन्स दिया हुआ है ना, जिस पर उन्होने कहा कि हां, फिर कहा कि आपको टाईम पर आने का बोला था, फिर उन्होने मेरे को घुमटी के अन्दर बुलाया तथा कहा कि लेट ज्यादा आये हो फिर उन्होने कहा कितने लेकर आये तो तब मैंने कहा कि आप ही बता दो। जिस पर श्री बलदेवजी ने कहा कि दे दो 500/-रूपये, तथा अपने साथ ड्यूटी पर लगे श्री महावीर पुलिस कर्मी को बुलाकर उनके पास उपलब्ध फोटो से मेरे वाहन का चालान बना दिया तथा लाईसेन्स वापिस मुझे दे दिया व कहा 5000/-रूपये भर देना सरकार में। साथ ही पास खड़े परिवादी श्री रामप्रकाश ने भी श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 के उपरोक्त कथनों की ताईद की। ताबाद समय 06.00 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री रामप्रकाश व संदिग्ध आरोपी श्री बलदेवसिंह हैड कानि. के बीच हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर सुना गया तो आरोपी श्री बलदेवसिंह हैड कानि. द्वारा परिवादी श्री रामप्रकाश के वाहन बोलेरो पिकअप का चालान नहीं बनाने की ऐवज में 500/-रूपये रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। परिवादी द्वारा रिश्वत राशि आज उपलब्ध नहीं होने व कल देने का कहने पर आरोपी श्री बलदेवसिंह हैड कानि. द्वारा परिवादी श्री रामप्रकाश का चालान बना दिया गया। जिस पर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर ट्रेप कार्यवाही होना अब सम्भव नहीं है। रिश्वत राशि के मांग के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही आईन्दा अमल में लाई जायेगी। परिवादी को गोपनीयता रखने की हिदायत व आईन्दा तलब करने पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत देकर कार्यालय से रूखस्त किया गया। अब तक के सम्पूर्ण हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर को निवेदन किये गये। दिनांक 27.01.2026 को वक्त 02.25 पी.एम. पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होनें के कारण एक पत्र श्रीमान प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर के नाम मुर्तिब कर कार्यालय पत्रांक 225. दिनांक 27.01.2026 जारी कर जरिये मेल प्रेषित किया गया एवं स्वतन्त्र गवाह भिजवाने हेतु से जरिये मोबाईल वार्ता भी गई एवं गवाह को दिनांक 28.01.2025 को प्रातः 10.00 बजे भिजवाने हेतु कहा गया। ताबाद वक्त 02.49 पी.एम. पर परिवादी श्री रामप्रकाश को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु जरिये मोबाईल वार्ता की तो परिवादी श्री रामप्रकाश ने बताया कि आज मैं मेरे काम से बाहर गया हुआ कल दिनांक 28.01.2026 को ब्यूरो चौकी जोधपुर में उपस्थित हो जाउंगा। दिनांक 28.01.2026 वक्त 11.30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर से दो कार्मिक कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। उपस्थित आये कार्मिकों से मन् किशनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दोनो कार्मिको को अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो उन्होने बारी-बारी से अपना परिचय श्री दीपाराम पुत्र श्री बुधाराम जाति माली उम्र 33 वर्ष निवासी मालियों का बास गांव सांगरिया, पुलिस थाना विवेक विहार, जिला जोधपुर हाल सूचना सहायक कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जिला जोधपुर मोबाईल नं. व श्री राजेन्द्र कुमार विश्नोई पुत्र श्री सोहनलाल जाति विश्नोई उम्र 40 वर्ष निवासी मकान नं. 04 शिव विहार सारण नगर, पुलिस थाना बनाड़ जिला

जोधपुर हाल सूचना सहायक कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जिला जोधपुर मोबाईल नं. के रूप में दिया। ताबाद वक्त 11.40 ए.एम. पर पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री रामप्रकाश कार्यालय हाजा में उपस्थित आया। जिस पूर्व मे कार्यालय उपस्थित कार्मिकों एवं परिवादी श्री रामप्रकाश का आपस में परस्पर परिचय करवाकर दोनो कार्मिको को बुलाने के मन्तव्य से अवगत कराकर परिवादी श्री रामप्रकाश द्वारा दिनांक 19.01.2026 को प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करवाया गया एवं परिवादी श्री रामप्रकाश व होमगार्ड सुरेन्द्रसिंह के मध्य दिनांक 19.01.2026 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन से पूर्व वार्ता एवं दिनांक 19.01.2026 को परिवादी श्री रामप्रकाश एवं आरोपी श्री बलदेवसिंह हैड कानि. के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश को सुनाया गया। दोनो कार्मिकों द्वारा परिवादी की रिपोर्ट पढकर परिवादी से तसली से पुछताछ कर एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन की रिकार्ड वार्ता के मुख्य अंश सुनकर ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की मौखिक सहमति दी। उक्त रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट बनाने का निर्णय लिया। जिस पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर परिवादी श्री रामप्रकाश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेज पर किये गये। तत्पश्चात् वक्त 12.15 पी.एम. पर परिवादी श्री रामप्रकाश एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री दीपाराम एवं श्री राजेन्द्र कुमार विश्नोई की उपस्थिति में परिवादी श्री रामप्रकाश पुत्र श्री बींजाराम जाति जाट उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर एवं होमगार्ड श्री सुरेन्द्रसिंह के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन से पूर्व रूबरू वार्ता एवं दिनांक 19.01.2026 तथा परिवादी श्री रामप्रकाश पुत्र श्री बींजाराम जाति जाट उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर एवं आरोपी श्री बलदेव सिंह हैड कानि. यातायात शाखा, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री छैलाराम कानि नं. 46 द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन से पूर्व रूबरू वार्ता एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता तैयार की जाकर फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता (रिश्वत राशि मांग सत्यापन से पूर्व रूबरू वार्ता) में एक आवाज परिवादी श्री रामप्रकाश ने अपनी व दूसरी आवाज अन्य व्यक्ति श्री होमगार्ड सुरेन्द्रसिंह होना बताया एवं डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता (रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता) एक आवाज परिवादी श्री रामप्रकाश ने अपनी व दूसरी आवाज श्री बलदेवसिंह हैड कानि. की एवं तीसरी आवाज अन्य व्यक्ति (यातायात वर्दीधारी) की होना बताया। उक्त रिकार्ड वार्ताओं के आवाजों की पहचान परिवादी श्री रामप्रकाश द्वारा की गई। उक्त वार्ताएं जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं, को विभागीय कम्प्यूटर की मदद से दो डीवीडीयां तैयार की गई। फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन से पूर्व वार्ता एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता की अनुलिपि एवं डीवीडीयां तैयार करने के बाद रिकार्ड वार्ताओं का मूल मैमोरी को डिजीटल वॉयस रिकार्डर में से निकालकर एक सफेद लिफाफे में डालकर लिफाफे को सफेद कपड़े की थैली में डालकर थैली की सिलाई कर शिल्ड मोहर किया गया। सफेद कपड़े की थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त दोनो डीवीडीयां को खुली हालत में ही रहने दिया गया। एक डीवीडी आरोपी के लिये एवं एक डीवीडी अनुसंधान अधिकारी के तैयार की गई। उक्त दोनो खुली हालत की डीवीडीयां एवं सफेद कपड़े की थैली में शील्ड शुदा मैमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। ताबाद वक्त 03.00 पी.एम. पर परिवादी श्री रामप्रकाश ने रूबरू गवाहान मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि दिनांक 19.01.2026 को मेरी श्री बलदेवसिंह हैड कानि. से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हुई थी मैने श्री बलदेवसिंह हैड कानि. का अपने मोबाईल से फोटो खीच लिया था जो आज मेरे मोबाईल में सुरक्षित है। जिस पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू परिवादी मोबाईल कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फोटो की प्रिन्ट निकाल कर फोटो पर विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये जाकर शामिल रनिंग नोट किया गया। ताबाद ट्रेप कार्यवाही मे परिवादी श्री रामप्रकाश व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री दीपाराम व श्री राजेन्द्र कुमार विश्नोई की आवश्यकता नहीं होने पर कार्यालय से रूखस्त किया गया।अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री रामप्रकाश की हस्तलिखित रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में दिनांक 19.01.2026 को रिश्वत राशि का मांग सत्यापन श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 को परिवादी श्री रामप्रकाश के साथ भेजकर कराया तो श्री बलदेवसिंह हैड कानि. यातायात शाखा, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर द्वारा परिवादी श्री रामप्रकाश से उसके वाहन बोलेरो पिकअप, वाहन संख्या आर जे 32 जीसी 8368 का चालान नहीं बनाने की ऐवज में 500/-रूपये रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। परिवादी श्री रामप्रकाश द्वारा रिश्वत राशि राशि उस रोज उपलब्ध नहीं होने व कल देने का कहने पर आरोपी श्री बलदेवसिंह हैड कानि. द्वारा परिवादी श्री रामप्रकाश का चालान बना दिया गया एवं ड्राईविंग लाईसेन्स परिवादी को सुपुर्द कर दिया। जिस पर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही नहीं हो पाई। उपरोक्त कार्यवाही से श्री बलदेवसिंह हैड कानि. 787 यातायात शाखा, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः श्री बलदेवसिंह पुत्र श्री बाबुसिंह उम्र 43 वर्ष निवासी

नेत्र चिकित्सालय के सामने पुलिस थाना जैतारण जिला ब्यावर हाल हैड कानिस्टेबल नं. 787 यातायात शाखा, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर का कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में दण्डनीय होने से इनके विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है।(किशनसिंह चारण) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर...........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री किशनसिंह चारण, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री बलदेवसिंह पुत्र श्री बाबुसिंह उम्र 43 वर्ष निवासी नेत्र चिकित्सालय के सामने पुलिस थाना जैतारण जिला ब्यावर हाल हैड कानिस्टेबल नं. 787 यातायात शाखा, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री पारस सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 182 पर अंकित है। (पीयूष दीक्षित) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 608-11 दिनांक 06.04.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2- पुलिस आयुक्त, जोधपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जोधपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Paras Soni **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Piyush Dixit
Location: Rajasthan,IN
Date: 06/04/2026 11:44:42

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): PIYUSH DIXIT
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1983				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)